

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिला बून्दी (राज०)

प्रार्थना-पत्र संख्या :- 166 / 2023
GCMS NO:- 2023/258

दायर दिनांक: 03.07.2023

पीठारीन अधिकारी :- श्रीमती प्रीति मीणा

रामलक्ष्मण आ० बरधीलाल जाति धोवी नि० जरखोदा।

प्रार्थी

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार साहब, तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
2. भू०अभिलेख अधिकारी सर्किल करवर तहसील नैनवाँ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र:- अंतर्गत धारा 111,128 एल आर एक्ट

उपस्थिति:-

प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री देवेन्द्र कुमार जैन।

निर्णय दिनांक 02.05.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम फतेहगंज में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 777/980 रकबा 0.8090 हैक्टयर स्थित है जो राजस्व रिकॉर्ड में रामलक्ष्मण पुत्र बरधीलाल हि० पूर्ण जाति धोबी सा. जरखोदा खातेदार दर्ज है।

यह कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में बताया कि उक्त भूमि पर प्रार्थी अपने हिस्से मुताबिक काबिज होकर बहेसियत खातेदार कृषक निरन्तर निर्बाध काश्त करता चला आ रहा है। उक्त भूमि पर वर्तमान में चारों तरफ मेडे पडी हुई हैं। मौके पर कोई स्थायी सीमा चिन्ह मौजूद नहीं हैं। उक्त भूमि खसरा नम्बर 777/980 की दिनांक 26.6.2023 को हंकाई कर रहा था तो पड़ोसी खातेदारान ने प्रार्थी से उक्त खेत की सीमा संबंधी कहा सूनी कर सीमाज्ञान करवाने हेतु कहा जिससे भविष्य में अब प्रार्थी के खेत की सीमा को लेकर विवाद पैदा हा सकता है। साथ ही प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण से जब खेत की सीमा का निर्धारण कर स्थायी सीमा चिन्ह (पत्थरगढी) मौके पर कायम करने हेतु निवेदन किया गया तो अप्रार्थीगण ने न्यायालय आदेश लाने के लिए प्रार्थी को निर्देशित किया जो वाद का कारण है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा ट्रेस शपथ पत्र की प्रति आदि पेश कर अन्तर्गत धारा 111, 128 एलआर एक्ट के तहत पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

तहसीलदार नैनवाँ द्वारा क्रमांक/1785/भू०अ०/25 दिनांक 30.04.2025 से प्राप्त रिपोर्ट एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा पाया कि पत्रावली में निहित खसरा नम्बर 777/980 रकबा 0.8090 हैक्टयर भूमि के सीमाज्ञान के लिए गत वर्ष आवेदन किया गया था लेकिन उक्त खसरा नम्बर पर प्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं होने से सीमाज्ञान नहीं किया जा सका। अतः मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट के प्रार्थी का उक्त खसरा नम्बर पर कब्जा नहीं होने से पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 02.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ